

The State Expert Appraisal Committee (SEAC) has been constituted vide MoEF&CC S.O. 134 (E) dated 7th January, 2025 comprising following members:

1. Shri Rakesh Kumar Shrivastava, Chairman
2. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
3. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
4. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
5. Dr. Sunita Singh, Member.
6. Dr. Sushil Manderia, Member.
7. Shri A.A. Mishra, Member Secretary.

The 813th meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 22th July, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. Before presentation of agenda items- wise the committee discussed and decided to consider the following issues: -

- Fee is being deposited at SEIAA Secretariate, so adequacy of fee shall be verified by SEIAA Secretariate.
- In all cases the project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024, MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 & O.M. dated 26.05.2025 wrt plantation, comments of MPPCB and violation cases respectively.

The H'ble Chairman invited the Project Proponents Environmental Consultants for presentation according to scheduled agenda.

1. **Case No P2/1613/2025 Smt. Sashi Rawat W/o Shri Bhikam Singh Rawat, R/o - Village - Singhniwas, Tehsil- & District - Shivpuri, (M.P.) -473551. Prior Environment Clearance for Ramabasai Murum Quarry with a Production Capacity of 10,000 m³/year Murrum having a lease area of 4.00 hectare, at**

Khasra No. - 412 (Govt. land) Village - Ramabasai, Tehsil- Shivpuri, District- Shivpuri (M.P.).[538865] (Fresh- B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 22/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Shri Shishupal Verma Super Tech, Environmental Services, Bhopal(M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Smt. Sashi Rawat W/o Shri Bhikam Singh Rawat, R/o -Village - Singhniwas, Tehsil- & District - Shivpuri, (M.P.) -473551. Prior Environment Clearance for Ramabasai Murum Quarry with a Production Capacity of 10,000 m3/year Murrum having a lease area of 4.00 hectare, at Khasra No. - 412 (Govt. land) Village - Ramabasai, Tehsil- Shivpuri, District- Shivpuri (M.P.). <u>SIA/MP/MIN/538865/2025. B2 Fresh Case.</u>	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 412,	एरिया – 4.00 ha., शासकीय भूमि,
परियोजना स्थल	Village - Ramabasai, Tehsil- Shivpuri, District- Shivpuri (M.P.).	
Description of Project	It is a murrum Quarry with a production capacity of 10,000 m3/year Murrum having a lease area of 4.00 hectare, at Khasra No. - 412 (Govt. land) Village - Ramabasai, Tehsil- Shivpuri, District- Shivpuri (M.P.).	
सैधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्र0. 439 दिनांक 11/03/2024.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	
जल/वायु सम्मति	PCB ID: 169120, CTE-130146, Date of consent issued-15/05/2025, Validity of consent (Valid up to) -30-04-2030.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	NA	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	NA.	
उत्पादन क्षमता	➤ Murrum – 10,000 Cubic meter/year.	
परियोजना के 500 मीटर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल	

की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	प्रमाण-पत्र क्रमांक 486 दिनांक 20/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं है जिनका कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 486 दिनांक 20/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। ➤ आवेदित क्षेत्र माधव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से लगभग 8.5 कि.मी. दूर स्थित है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 486 दिनांक 20/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि संबंधी जानकारी नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – बिलूपुरा, जिला – शिवपुरी का ठहराव प्रस्ताव क्र. 01 दिनांक 27/01/2022 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में स्थित पेड़ों की संख्या – 8 काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या – 2
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि- पश्चिम दिशा – उत्खनिपट्टे से दक्षिण पश्चिम दिशा में मानव बसाहट 490 मीटर की दूरी पर स्थित है ।
	उत्तर दिशा –उत्खनिपट्टे से उत्तर दिशा में लगभग 40 मीटर पर एक देवस्थान है ।
	पूर्व दिशा – उत्खनिपट्टे से पूर्व दिशा में 220 मीटर कुछ मकान परिलक्षित हो रहे हैं ।
	दक्षिण दिशा – – दक्षिण दिशा में निकटतम 8 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त सड़क से 100 मीटर तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं मुरुम खदान होने के कारण अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 485 दिनांक 20/03/2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान का नाम आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में आवश्यक रूप से सम्मिलित की जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता – मुरुम –10000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.25 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.16 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.0 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु0. में)
Solar panel system of 2.0 kw capacity will be installed at village govt primary school Ramabasai & installation of 4 fans in the same school.	1,00,000/-

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का रोपण ।

2. Case No P2/1601/2025 Shri Dharmendra Singh Parmar, Project Proponent, VILLAGE KAWDI Tehsil and District DEWAS MP. Prior Environment Clearance for Murrum Quarry, Gitti and M-Sand in an area of 3.00 ha. (Murrum - 5000 cum per year, Gitti – 25,000 cum per year and M-Sand 10,000 cum per year) (Khasra No. 9,10, 11/1 and 11/2), Village-Vijaypur, Tehsil and District-Dewas (MP) [528699] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Shri Varun Bhardwaj from M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Dharmendra Singh Parmar, Project Proponent, VILLAGE KAWDI Tehsil and District DEWAS MP	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	9,10, 11/1 and 11/2 (निजी)	3.0 hectare.
स्थल	ग्राम विजयपुर, तहसील एवं जिला देवास (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1434 दिनांक 27/9/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा Outward No:21947 दिनांक 23/05/2025 जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम - 5000 घनमीटर/वर्ष, गिट्टी - 25,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम -5000 घनमीटर/वर्ष, गिट्टी - 25,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 10,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 219 दिनांक 22/01/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.910 होता है, अतः प्रकरण बी-2	

	श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड / से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 219 दिनांक 22/01/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 219 दिनांक 22/01/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 219 दिनांक 22/01/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में ग्रामीण कच्चा रास्ता प्रतिबंधित दूरी 10 मीटर से दूर है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिजेपुर जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक- क्यू दिनांक 05/3/2025 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 221 दिनांक 22/01/2025 के उक्त उत्खनन पट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनन पट्टा संचालन) हो जाने उपरांत अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जावेगा

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में 05 पेड़ हैं जो नहीं काटे जायेंगे उत्तर पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड 139 मी. की दूरी पर है जो कि हॉलेज रोड एवं दक्षिण दिशा में एक कच्ची रोड 285 मी. की दूरी पर है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरुम - 5000 घनमीटर/वर्ष, गिट्टी - 25,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 10,000 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क़शर /एम सैंड प्लान्ट प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क़शर /एम सैंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी ।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.05 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.3.52 लाख प्रति वर्ष ।

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

S. No.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
1.	Regarding installation of 03 Kw Solar Panel Govt. Secondary School, Village Vijaypur	2,30,000
2.	To provide assistance to the Cremation Ground, village Vijaypur	20,000
3.	The project proponent will arrange for nature-themed paintings to be created at the Govt. Middle School, Village Vijaypur	20,000
Total		2,70,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

3. Case No. P2/1615/25, Shri Anand Jaiswal S/o S/o Shri Ramnarayan Jaiswal R/o: 117, MG Marg, Bhikangaon, District- Khargone, Madhya Pradesh, State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Amankhedhi Stone (Gitti&M-sand) Quarry in an area of 3.50 ha. [Stone (gitti)-12,000 m³/year & M-sand: 12,000 m³/year], (Khasra No. 16/1 & 16/2 (Govt. Land), Village- Amankhedhi, Tehsil- Bhikangaon, District- Khargone (M.P.) [539043] (Fresh - B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Anand Jaiswal S/o Shri Ramnarayan Jaiswal (Owner) 117, Mahatma Gandhi Marg, Bhikangaon, Khargone (M.P.).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	16/1 & 16/2 (सरकारी भूमि)	3.50 hectare.
स्थल	ग्राम अमनखेडी, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1621 दिनांक 03/10/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर के Outward No:29103 दिनांक 22/05/2025 द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता grants Noc/Consent to Establish for setting up of an industrial plant/activities है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता गिट्टी - 12000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता गिट्टी - 12000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 12,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 597 दिनांक 07/03/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदान	

	संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 4.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1839 दिनांक 06/11/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1839 दिनांक 06/11/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1839 दिनांक 06/11/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अमनखेडी जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-7 दिनांक 20/08/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र में स्थित पेड़ों की संख्या – 12 काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या – 4
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा उत्खनिपट्टे से उत्तर पश्चिम दिशा में 55 मीटर पर एक कच्चा रोड स्थित है ।
	उत्तर दिशा उत्खनिपट्टे से उत्तर दिशा में 300 मीटर पर एक नाला स्थित है।
	दक्षिण दिशा – उत्खनिपट्टे के दक्षिण दिशा में 110 मीटर की दूरी पर एक नहर स्थित जिसके सम्बन्ध पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया की उक्त नहर कई वर्षों से बंद है जिसका उल्लेख उत्खनिपट्टा सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में भी किया गया है, पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया की उक्त नहर से 200 मीटर की दूरी तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा । उत्खनिपट्टे से दक्षिण पश्चिम दिशा में 400 मीटर की दूरी पर कुछ मकान स्थित है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन पत्र क्रमांक 1907 दिनांक 12/11/2024 के प्रकरण में संपूर्ण औपचारिकताये पूर्ण होने के उपरांत उत्खनिपट्टा को आगामी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उत्खनिपट्टे के पूर्वी दिशा में परिलक्षित हो रहा गड्डा पूर्व में स्वीकृत खदान का गड्डा है जो कि वर्ष 2023 में निरस्त किया जा चूका था एवं वर्तमान में स्वीकृत अथवा संचालित नहीं है जिसके सम्बन्ध में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला खरगोन मध्य प्रदेश द्वारा उक्त उत्खनिपट्टे हेतु जारी निरस्ती पत्र क्रमांक 884 दिनांक 21-07-2023 प्रस्तुत किया गया। अतः उत्खनिपट्टे के 500 मीटर की परिधि में वर्तमान केवल 1 उत्खनिपट्टा रकबा 1.0 हेक्टेयर स्वीकृत व संचालित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी निम्नानुसार है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता – गिट्टी पत्थर 12000 घनमीटर/वर्ष एवं एम् सैंड-12000 घनमीटर/वर्ष।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर /एम सैंड प्लान्ट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित कशर /एम सैंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.30 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.87 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.30 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar Panel System of 3.0 Kw Capacity will be installed at Govt. middle School of village Amankhedi & whitewash of it with educational painting on the walls.	1,30,000/-
योग		1,30,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4240 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए:—

- उत्खनिपट्टा पैसा ग्राम के अंतर्गत आता है अतः पैसा ग्राम अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करें। उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृती अनुशंसा की कार्यवाही की जावेगी।

4. Case No. 9993/2023 Ms. Smt. Saroj Adivasi W/o Shri Munna Adivasi, Owner, R/o 188, Vilapura, Motijheel, Jigsoli, District - Gwalior (MP) – 474010. Prior Environment Clearance for Jakhoda Flag Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (5000 Cum per year) (Khasra No.- 954), Village-Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (M.P.). [520886] (EIA)

प्रस्तावित खदान का परियोजना प्रस्तावक सरोज एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रदीप लोधी, एफ.ए.ई. मे0. ओसियो इंवरो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इं) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.) द्वारा आज दिनांक 22/07/25 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/क0/संस्थान का नाम व पता	Smt. Saroj Adivasi W/o Shri Munna Adivasi, Owner, R/o 188, Vilapura, Motijheel, Jigsoli, District - Gwalior (MP) - 474010, Prior Environment Clearance for Jakhoda Flag Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (5000 Cum per year) (Khasra No.- 954), Village-Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (MP) [429352]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा न0. 954, ग्राम-जखौदा, तह.-घाटीगांव, जिला-ग्वालियर (म.प्र.)	1.50 ha. शासकीय भूमि
परियोजना की श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1 Flag Stone Quarry,	SIA/MP/MIN/520886/2025.
टॉर विवरण	ToR Recommended in 659 th SEAC Meeting Dated 13/07/2023. ToR letter issued vide letter no. 1106 Dated 10 / 08/2023.	
खनन् कार्य: ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी (खनन् कार्य ड्रिलिंग ऑफ होल्स द्वारा किया जायेगा)।	
प्रकरण की स्थिति (नया/क्षमता विस्तार)	नया	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फर्शी पत्थर – 5000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार फर्शी पत्थर – 5000 घनमीटर/वर्ष घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
सैंधातिक सहमति/LOI	पत्र क0. 15954 दिनांक 23/11/2022.	
परियोजना के 500	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र	

मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	क्रमांक 27 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 7.320 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 27 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 27 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत जखौदा जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 05 दिनांक 15/07/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्त नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित स्थल पर 02 पेड है, जिन्हें काटा नहीं जायेगा।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर-पूर्व दिशा- पक्का रोड़ 448 मी. दक्षिण पूर्वी दिशा- जल रोकने की वृहद् संरचना 323 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) द्वारा पत्र क्र. 27 दिनांक 03/01/23 द्वारा उल्लेख किया है, कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

Committee have found following points for clarification: -

- There are EIA at S.No. 39 dated: 28/1/2025, S.No. 9 & 10 Dated 27/5/2025 & dated 24/5/2025 on portal MOU between M/s OCEAO Enviro and M/s. Enviro Tech Services is executed on 12th April 2024 for period 01/4/2024 to 31/3/2026 Notarized on 12 Jun, 2024, whereas the baseline data study period is mentioned from Dec. 2022 to Feb. 2023. This MoU is at S.No. 17 dated: 28/1/2025. Affidavit between PP & Consultant document dated: 14th April 2023 is at SN 24. As per consultant request EIA dated 27/5/2025 S.No. 9 is discussed and following lacking are noted to be replied from PP end;-
1. EIA page/7 para 1.4.3 chapter 8/9 is not as per Generic structure of EIA document appendix iii. P10-11 ToR Point 10,19,21, P/14 to 16 – ToR point 1,2,6, 12, 21, 23 reply are not proper. At Page 39 waste water 0.896 KLD Fig 2.7 disposal through tanker is proposed, it is not proper.
 2. Water samples GW1, to GW3, type of source is not mentioned. EIA Page 46, 52, 56, 63 there are total 18 photographs in support of Baseline data study, however only two are Geo tag ?
 3. CAF part B, SN. 22 indicate No Blasting, however the EIA Page 131, 132 Table 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4 and Page/144 Para 11.9 reveals blasting is involved in this project. Consultant and Lab certificate validity period do not match with Baseline study period. Please clarify.
 4. In view of above please address above points along with the Genuine Geotag photographs to support baseline study period and matching valid consultant & labs certificates as per NABIT guidelines.

5. Case No P2/1604/2025 BHAKTI RAJA BUNDELA, LEESSEE, Ward No. 10, Dixit Colony, Ghuwara, Chhatarpur (M.P.). Prior Environment Clearance for M/s Devpur Crusher Stone mine for making Gitti & M-sand through Crusher, Stone Mine in an area of 3.999 ha. (Maximum Production – 20,703 Cubic Meter) (Gitti- 5070m³ & M-Sand -15,633 m³) (Khasra No. 304/1) Village – Devpur, Tehsil – Ghuwara, District- Chhatarpur (M.P.).[532333] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला , Team Member, M/s. Aseries Envirotek India Pvt Ltd, Lucknow उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री BHAKTI RAJA BUNDELA, LEESSEE, Ward No. 10, Dixit Colony, Ghuwara, Chhatarpur (M.P.).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	304/1 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.999 hectare.
स्थल	Village – Devpur, Tehsil – Ghuwara, District- Chhatarpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 13209 दिनांक 05/10/2023 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	CONTROLLED BLASTING.	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 21/05/2025 द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 14/05/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 5070m ³ & M-Sand -15,633 m ³ हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 5070m ³ & M-Sand -15,633 m ³ है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 185 दिनांक 05/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	

राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 185 दिनांक 05/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 185 दिनांक 05/02/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 185 दिनांक 05/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत देवपुर प्रथम जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 दिनांक 24/01/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 892 दिनांक 27/05/2025 अनुसार उक्त खदान अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 15 पेड़ हैं जो चिरोल एवं पलाश प्रजाति के हैं जो नहीं काटे जायेंगे एवं इस क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है। उत्तर पश्चिम दिशा में एक तालाब लीज के समीप है अतः 200मी. तक का क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र एवं उत्तर पूर्व दिशा में एक प्राकृतिक नाला 20मी. की दूरी पर है इस संबंध में 30 मी. क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है अतः खनन हेतु 1.690 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्न-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर- 5070m³ & M-Sand - 15,633 m³ है।
2. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.55 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू 4.11 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
शासकीय प्राथमिक शाला देवपुर प्रथम में 2 KW का सोलर पैनल	1,20,000.00

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1900 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

6. Case No 9642/2023 Smt. Rajabeti Adiwasi W/o Shri Sunil Adiwasi R/o 61, Neemchadoha, District-Gwalior (MP)-474001, Prior Environment Clearance for Jakhoda Flag Stone (Farshi Patthar) Quarry in an area of 4.40 ha. (20,000 Cum per annum) (Khasra No. 950P), Village- Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (M.P.). 536667] (EIA)

- Earlier this case was discussed in 624th SEAC Meeting Dated 26/02/2023. Wherein query was raised.
- Than after this case was discussed in 676th SEAC Meeting Dated 11/09/2023 wherein ToR was Recommended.

Query raised in 624th SEAC Meeting Dated 26/02/2023.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती राजावेटी आदिवासी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री किशन पंडित (ऑनलाईन), मे0. ग्लोबल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, जयपुर (राज.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12151 दिनांक 01/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण फर्शी पत्थर का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण में 200 मी0. पर डेम स्थित है, पूर्व दिशा में लगभग 215 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला है तथा उत्तर-पूर्व दिशा में पक्का रोड 278 मीटर पर है एवं आबादी उत्तर-पूर्व दिशा में 625 मीटर पर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 12240 दिनांक 13/12/2022 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि इस प्रकरण के संबंध में दो शिकायत प्राप्त हुई है :-

अ. शिकायत-पत्र क्र0. 1 – ग्रामवासियों (श्री हाकिम सिंह गुर्जर, श्री गिरधारी गुर्जर, श्री दशरथ सिंह गुर्जर एवं अन्य) से प्राप्त शिकायत के संबंध में टीप (संलग्नक – 1 सिया को भी संबोधित है)

ब. मे0. मानवी इन्टरप्राइजेस, ग्वालियर (संलग्नक – 2)

समिति द्वारा प्राप्त उपरोक्त शिकायतों का अवलोकन किया एवं पाया कि दोनो शिकायतो में उठाये गये बिंदुओ जैसे लीज अलाटमेंट, उसके विरुद्ध की गई अपील, हाईकोर्ट ग्वालियर की बेंच आदेश दिनांक 19/10/94 इत्यादि के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रतिवेदन प्राप्त कर ही इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जाना उचित होगी अतः प्रकरण सिया के माध्यम से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाना अनुशंसित है।

In the 676th SEAC meeting Dated 11/09/2023 Query was discussed and then after ToR was Recommended.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 29/07/23 को अपलोड कर दी गई है, सिया द्वारा उक्त प्रकरण को अपने बैठक क्रमांक 798 दिनांक 02/08/2023 में उल्लेख किया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण को रिलिस्ट कर सेक को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण आज दिनांक 11/09/23 को समिति के समक्ष रखा गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री किशन पंडित (ऑनलाईन), मे0. ग्लोबल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, जयपुर (राज.) के स्थान पर श्री संतोष खंताल मेसर्स क्विएटिव इनवायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) को नियुक्त कर लिया गया है। पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्न जानकारी पुनः प्रस्तुत की गई। प्रस्तुतीकरण में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि पूर्व में सेक की 624वीं बैठक दिनांक 26/02/2023 के संबंध में शिकायतों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में जैसे लीज अलाटमेंट, उसके विरुद्ध की गई अपील, हाईकोर्ट ग्वालियर की बेंच आदेश दिनांक 19/10/94 इत्यादि के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रतिवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर (खनिज शाखा) का पत्र क्रमांक 1171 दिनांक 14/07/2023 का प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया गया है।

Project Background: -

- The lease has been granted by DGM Bhopal by letter no Kr.-15980/Khanij/QL/N.Kr.-82/2021 Bhopal dated 23/11/2022 in the name of Smt. Rajabeti Aadiwasi W/o Shri Sunil Aadiwasi, Add. - 61, Neemchdoha, District- Gwalior (MP) for a period of 10 years. over an area of 4.40 Ha located at Khasra No 950 in Village - Jakhoda, Tehsil- Ghatigaon, District - Gwalior, Madhya Pradesh State.
- As per the gazette notification of Madhya Pradesh State Government dated 23rd March 2013, all the existing and fresh quarry leases must submit approved quarry plan and progressive mine closure plan. Therefore, the proponent submitted the mining plan and progressive mine closure plan for approval to the competent authority Directorate of Geology and Mining and the same has been approved by the concerned department vide letter no. SR. NO. 1256/ KHANIJ/ N.KR./ 2022-23, Gwalior Dated 30.11.2022.

- Approved District Survey Report has been obtained vide letter SR. -Q/3/MA. RA./VIVIDH/2022/12240 Gwalior Dated 13.12.2022..
- Ekal Praman Patra has been obtained by SR. Q.L.I.D. 22699/2021 / 1289 / Gwalior dated 07.08.2023. which confirms that there is no sensitive receptor within 10 km, no forest patch within 250 m, no human settlement within 500m, no water stream, pond, river, or other water body within 100m from site from proposed site. As per Ekal Praman Patra, there are 4 more mines are proposed of area 5.42 ha.
- No objection certificate has been obtained from Village Panchayat for operation and mining activity vide Dated 02.10.2022. Khasra Map and Khasra Panchsala (P-II) are shown in ppt.

Basic Information of Project

S. No.	Parameters	Description
1.	Technology	The mining will be carried out by opencast method, which includes semi-mechanized excavation, loading and transportation by excavator-tipper combination, stacking and finally dispatched by tippers. The capacity of the mine is 20,000 m ³ per year. This is a proposed new mine having area 4.40 Ha. Mined out Flag Stone from the mine will be carried out the systematic working by using hand tools & machines. As Flagstone is a hard rock as per DGMS norms 3-5m benches can be formed. Then it is brought to nearby stacking point where sizing is done manually, where different sizes are obtained as per buyer specification.
2.	Drilling/ Blasting	Drilling & Blasting is not proposed.
3.	Ultimate Pit Slope	45 degrees
4.	Ultimate depth of Mining	10 m (318 mRL – 308 mRL)
5.	Ground water level	35 - 50 m below surface level
6.	GWT intersection	Mining will be done above the ground water table. Hence ground water table will not be intersected.
7.	Drainage pattern/ water courses	There is no stream crossing in the mine lease area. Its course will not be obstructed or diverted.
8.	Water requirement & source	Total water requirement for dust suppression, plantation, drinking, and others activity are 8.3 KLD. Water will be sourced from private tankers.

9.	Cost of project	The capital cost for the project will be Rs. 20 lakhs. Machinery will be hired from nearby region.
----	-----------------	--

CLUSTER DETAILS

S. No.	Lease Owner	Village / Tehsil	Khasra No.	Area (Ha)	Approval Date	Duration	Status
1	Shri Bharat Singh S/o Sobran Singh	Jakhroda / Ghatigaon	963	1.00	03/12/2021	27/05/22 to 26/05/32	Operational
2	Smt. Saroj Adivasi W/o Shir Munna Adivasi	Jakhroda / Ghatigaon	954	1.50	23/11/2022	Under Process	-
3	M/s Rathore Stone Industries		954	1.50	23/11/2022		
4	Smt. Dropadi Devi D/o Banti Adivasi		954	1.42	23/11/2022		
5	Smt. Rajabeti Adivasi W/O Shri Sunil Adivasi		950	4.40	23/11/2022		
Total				9.82	-		

समिति ने परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ करने के निर्देश दिये :-

- कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर (खनिज शाखा) का पत्र क्रमांक 1171 दिनांक 14/07/2023 का प्रतिवेदन की स्पष्ट प्रति।
- डब्ल्यू.पी.एस 12854/1994 कोर्ट का आदेश क्यू.एल/54/2005 वर्ष 2016 के बिन्दु क्रमांक 07 को प्रस्तुत किया जाये।
- प्रकरण के संबंध में यदि कोई अपील लंबित हो तो उसका वर्तमान स्टेटस प्रस्तुत करे।
- खदान क्षेत्र के अंदर एवं आस-पास के क्षेत्र की विडियो ग्राफी करते हुये आवंटित खदान क्षेत्र की ड्रोन विडियोग्राफी प्रस्तुत करें

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर (खनिज शाखा) का पत्र क्रमांक 1171 दिनांक 14/07/2023 का प्रतिवेदन की स्पष्ट प्रति।
2. डब्ल्यू.पी.एस 12854/1994 कोर्ट का आदेश क्यू.एल/54/2005 वर्ष 2016 के बिन्दु क्रमांक 07 को प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रकरण के संबंध में यदि कोई अपील लंबित हो तो उसका वर्तमान स्टेटस प्रस्तुत करे।
4. खदान क्षेत्र के अंदर एवं आस-पास के क्षेत्र की विडियो ग्राफी करते हुये आंवटित खदान क्षेत्र की ड्रोन विडियोग्राफी प्रस्तुत करें
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आंवटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर x 01 मीटर x 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. चूंकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
9. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 22/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार **SHRI Vikash Tripathy Co-ordinator, M/s. Parivesh Environmental Engineering Services, Lucknow (U.P.)**. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

- संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल (म.प्र.) के आदेश क्रमांक- 15980/ न.क. 82/2021 दिनांक 23/11/2022 पत्थर उत्खनन की सैद्धांतिक सहमति जारी की गयी थी।
- सर्वे नम्बर 950 की खदान डैम से 144 मीटर दूरी पर स्थित है एवं खदान का कार्य जायेगा जिसमें खनन कार्य हेतु ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है अतः उक्त खदान के संचालन से डैम को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी एवं इस हेतु कलेक्टर ग्वालियर के माध्यम से सिचाई विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त किया है।
- चूंकि जिन लोगो ने पूर्व में सर्वे नम्बर 950 की खदान संचालित की हे उन्होंने डैम से लगी हुई सीमा में अवैध उत्खनन किया था जिसे संज्ञान में लेते हुए माननीय कलेक्टर ग्वालियर ने खदान को निरस्त किये जाने के आदेश दिये थे।

- यह कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच आदेश क्रमांक 1284 दिनांक 19 अक्टूबर 1994 के आदेश जारी कर कहा कि खदान के आवंटन के पूर्व सिंचाई विभाग से अभिमत प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
- अतः मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच द्वारा कभी भी खदान निरस्त करने के आदेश नहीं दिये गये हैं। अतः उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होती है।
- SEIAA एवं SEAC ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SEAC के अनुमोदन पत्र क्रमांक 2859-60 दिनांक 10-02-23 पर सिया की 775वीं मीटिंग दिनांक 17/03/23 में कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव में सिया के पत्र क्रमांक 3311-12 दिनांक 21/03/23 जिला कलेक्टर ग्वालियर को जांच के निर्देश दिये गये थे उक्त प्रकरण में कलेक्टर महोदय के द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदन के बिन्दुओं की पूर्ति पत्र क्रमांक 117 जिला ग्वालियर दिनांक 14/07/23 के माध्यम से सदस्य सचिव सिया को प्रेषित किया है। कलेक्टर महोदय के द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदन के बिन्दुओं के आधार पर सेक की 676वीं मीटिंग में एवं 909 सिया की मीटिंग की बैठक में सिया द्वारा प्रकरण को टॉर द्वारा जारी किया गया था।
- पूर्व में कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर आदेश क्रमांक क्यूएल 54/205 दिनांक 27/02/16 के द्वारा खदान को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई थी क्योंकि पूर्व पट्टेदार द्वारा डैम के समीप एवं वन क्षेत्र के अंदर अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा था जिसकी शिकायत अन्य विभागों द्वारा भी की गयी जिसके फलस्वरूप तत्कालीन स्थिति में कलेक्टर महोदय द्वारा खदान को निरस्त कर दिया गया था एवं पूर्व पट्टेदार द्वारा पूर्व के वर्षों में भी खनन कार्य का संचालन नियमानुसार न किये जाने से पट्टा निरस्त किया था अतः पूर्व के प्रकरण का नवीन प्रकरण से कोई मेल नहीं है निवेदन है खदान संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जाये।
- हाईकोर्ट के द्वारा 1994 में यह खदान को बंद किये जाने का कोई आदेश जारी नहीं किया था और हाईकोर्ट ने इस खदान को पुनः चालू किए जाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है अतः हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच आदेश क्रमांक 1284 दिनांक 19 अक्टूबर 1994 का अनुपालन में सिंचाई विभाग से एवं अन्य विभागों से अभिमत प्राप्त किया गया है।
- खदान के नवीन क्षेत्र की डैम एवं नहर से दूरी 100 मी. से अधिक है अतः खदान के संचालन से कोई क्षति नहीं होगी।

- कार्यालय सिंचाई विभाग (जल संसाधन) द्वारा खसरा क्रमांक 950 में कार्य हेतु पत्र क्रमांक 1156 दिनांक 23/03/23 के माध्यम से अनापत्ति दी गयी एवं वर्तमान में पत्र क्रमांक 1814 दिनांक 23/06/23 के माध्यम से खनन कार्य हेतु अनापत्ति दी गयी है।
- खदान क्षेत्र में खनन कार्य मैनुअल मैनिंग मेथड से किया जायेगा इसमें ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी अतः खदान संचालन से किसी भी प्रकार की डैम, नहर, एवं जनहानि नहीं होगी। खनन के सभी कार्य नियमानुसार इंजीनियर के देख रेख में किये जायेंगे।
- पुनरीक्षण याचिका-पुनरीक्षण अपील क्रमांक 75/1033604/2022/12/1 दिनांक 09/01/23 एवम् पुनरीक्षण अपील क्रमांक 66/1024004/2022/12/1 दिनांक 09/01/23 विचाराधीन है। पुनरीक्षण याचिका सचिव खनिज साधन विभाग के अधीन विचाराधीन थी जिसमें सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण होकर माननीय मंत्री खनिज साधन विभाग के पास अनुशंसा हेतु विचाराधीन है अतः विचाराधीन अपील में शसन द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा उसके लिए मैं बाध्य हूं। अतः आपसे निवेदन है कि पर्यावरणीय स्वीकृति देने का कष्ट करें।

सेक समिति को श्री अर्जुन सिंह पुत्र हरी कंठ सिंह ग्राम जाखोदा तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर के द्वारा दिनांक 02/07/25 को प्रेषित शिकायत पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में डैम से लगी हुई सीमा में अवैध उत्खनन, माननीय हाईकोर्ट के आदेश क्रमांक 1284 दिनांक 19/10/1994 आदि का वर्णन करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं करने का आग्रह किया है।

समिति द्वारा पाया गया कि इस प्रकरण में टॉर अनुशंसा के पहले भी शिकायत प्राप्त हुई थी तथा अब वर्तमान में सिया द्वारा जारी टॉर पर आधारित ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण हेतु पीपी एवं सलाहकार उपस्थित हुए हैं। चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

1. EIA page 9-14, TOR compliance points no. 8, 12,16,23, 24, 27 , Page no. 17 TOR condition no. 2, Page no. 19, TOR condition no. 22,24 proper reply with EIA chapter ref. is required.
2. EIA page 2, page 51, page 49 man power requirement is mentioned as 25 and 20 respectively please clarify. Page 14 DG set is not proposed however page 100 para 4.4.2.5 and table 4.7 reveals emission prediction from DG set? Page 138 tabl 10.2 air pollution from Blasting is mentioned in many places of the EIA report whereas blasting is not proposed, please clarify.
3. EIA report AAQ baseline data mentioned from 03/12/2022 to 27/02/2023 and meteorological data is from 12/01/2022 to 02/12/2023. This is not

matching to calculate GLC data. The EIA report do not include Soil, Noise, Water Quality monitoring reports date-wise also relevant photographs are not Geotag .

4. MoU between Consultant & PP is of 10th Dec. 2024 whereas baseline study period is from Dec. 2022 to Feb. 2023, please clarify. Also submit valid NABET certificate for consultant and lab for baseline data collection, analysis period.

7. Case No P2/1616/2025 Smt. Munni Bai Aadiwashi W/o Shri Bhagirath Aadiwashi, R/o- Village -Sandhu Farm Gadhala (Chack) Chharch, Shivpuri, (M.P.) - 473775. Prior Environment Clearance for Vedmau Flagstone Mine with a production capacity of 6,000 m3/year Flagstone area of 1.00 hectare, Khasra No. 494 (Govt. land) Village - Vedmau, Tehsil- Rannod, District- Shivpuri (M.P.) [539207] (B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 22/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Shri Shishupal Verma, M/s. Super Tech, Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Smt. Munni Bai Aadiwashi W/o Shri Bhagirath Aadiwashi, R/o- Village -Sandhu Farm Gadhala (Chack) Chharch, Shivpuri, (M.P.) - 473775. <i>Prior Environment Clearance for Vedmau Flagstone Mine with a production capacity of 6,000 m3/year Flagstone having a lease area of 1.00 hectare, at Khasra No. 494 (Govt. land) Village - Vedmau, Tehsil- Rannod, District- Shivpuri (M.P.)</i> <u>SIA/MP/MIN/539207/2025.</u> <u>B2 Fresh Case.</u>	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 494,	एरिया – 1.00 ha., शासकीय भूमि,
परियोजना स्थल	Village - Vedmau, Tehsil- Rannod, District- Shivpuri (M.P.).	
Description of Project	It is a Flagstone Quarry with a production capacity of 6,000 m3/year Flagstone having a lease area of 1.00 hectare, at Khasra No. 494 (Govt. land) Village - Vedmau, Tehsil- Rannod, District- Shivpuri (M.P.)	
सैधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्र0. 1751 दिनांक 24 / 10 / 2021.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	
जल / वायु सम्मति	PCB ID: 169033, Consent No.AW129550. Consent to Establish Valid upto 31/03/2030.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Not Applicable	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	Not Applicable	
उत्पादन क्षमता	Flagstone – 6,000 Cubic meter/year.	
परियोजना के 500 मीटर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल	

की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	प्रमाण-पत्र क्रमांक 1831 दिनांक 13/11/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य कोई खदाने स्वीकृत है जिनका कुल रकबा 5.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1831 दिनांक 13/11/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1831 दिनांक 13/11/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि संबंधी जानकारी नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – बड़मऊ, जिला – शिवपुरी का ठहराव प्रस्ताव क्र०. 02 दिनांक 15/08/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing within lease area -No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	पश्चिम दिशा – उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में मानव बसाहट 150 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त फर्शी पत्थर खदान होने के कारण अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी । ।
	उत्तर –पश्चिम दिशा – उत्खनिपट्टे से उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 30 मीटर पर एक नाला स्थित है जिसके सम्बन्ध में सलाहकार द्वारा बताया गया की उक्त नाले से 50 मीटर तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 1830 दिनांक 13/11/2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान का नाम आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में आवश्यक रूप से सम्मिलित की जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – फर्शी पत्थर – 6000 घनमीटर/वर्ष।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर /एम सेंड प्लान्ट में वायु

प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।

3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.25 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.29 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 0.50 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Repairing & whitewash of the village Aaganwadi kendra Vedmau & educational paintings on the walls along with installation of a new door & windows.	50,000/-
योग		50,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

8. Case No P2/1605/2025 Case No P2/1605/2025 Shri Hemant Garg, Owner, New Market Makshi Tehsil and District Shajapur (M.P.). Prior Environment Clearance for M/s Kanasiya Gitti and M-Sand Quarry project (Gitti) Quarry and M-Sand, area 1.30 ha. (Gitti - 3500 cum per year and M-Sand 3000 cum per year) (Khasra No. 488,489, 490, 491, 492, 493 and 494 (P. Land), Village-Kanasiya, Tehsil Tarana, District-Ujjain (MP) [515188] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, ऑनलाइन, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कंसलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Hemant Garg, Owner, New Market Makshi Tehsil and District Shajapur (M.P.).
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	488,489, 490, 491, 492, 493 and 494 (निजी भूमि) 1.30 hectare.
स्थल	ग्राम कनासिया, तहसील - तराना जिला उज्जैन, जिला खरगोन (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 1658 दिनांक 13/09/2017 के लिए स्वीकृत ।
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन के Outward No:18454 दिनांक 31/05/2022 द्वारा जारी जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 27/02/2027 तक है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर (गिट्टी) - 3500 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 3000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर (गिट्टी) - 3500 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 3000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 53 दिनांक 05/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।

राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 53 दिनांक 05/01/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 53 दिनांक 05/01/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 53 दिनांक 05/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कनासिया जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 10/12/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण उज्जैन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक 05 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक पक्का रोड 77मी., पूर्व दिशा में प्राकृतिक नाला 31मी. एवं 520 मी. की दूरी पर है एवं लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में साइट ऑफिस स्थित है। लीज क्षेत्र का पूर्वी एवं पश्चिमी ओर का बेरियर जोन खुदा हुआ है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों का पालन – प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ, प्रमाणित दस्तावेज।
- बेरियर जोन का पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र खुदा हुआ है अतः भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08/01/2019 के पालनार्थ पुर्नभरण करवाकर वृक्षारोपण कर संरक्षित कराएं तथा प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन जियोटेग फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत करें।
- समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी एवं सीईआर प्रस्तुत करें।

9. Case No P2/1606/2025 Manohar Patidar, Partner, M/S DHANLAXMI CONSTRUCTION AND SUPPLIERS, H.No-22, Village-Rajdhar, Mundla, Dostadar, Kampel road, Indore (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Kharjuni Stone (Gitti) Quarry , Stone (Gitti) Quarry area of 2.00 ha. (Gitti – 30,000 cum per year) (Khasra No. 341 Govt. Land), Village Khajuni, Tehsil Sardarpur District-Dhar (MP) [519942] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, ऑनलाइन मेसर्स एपेक्स मिनटेक कंसलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Manohar Patidar, Partner, M/S DHANLAXMI CONSTRUCTION AND SUPPLIERS, H.No-22, Village-Rajdhar, Mundla, Dostadar, Kampel road, Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	341 (सरकारी भूमि)	2.00 hectare.
स्थल	ग्राम खरजुनी, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 714 दिनांक 14/3/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर Outward No:-29092 दिनांक 22/05/2025 द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक Consent to Establish upto 21/05/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-30000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-30000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1894 दिनांक 12/8/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1894 दिनांक 12/8/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	

से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1894 दिनांक 12/8/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1894 दिनांक 12/8/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत उण्डेली, ज.प. सरदारपुर, जिला धार के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 09/1/2024 के अनुसार दिये जाने हेतु पैसा एक्ट के ग्राम सभा के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है । इससे ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1894 दिनांक 12/8/2024 के उपरोक्त खदान के अनुबंध/निष्पादन तथा पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात नवीन जिला सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जावेगा

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 05 पेड़ हैं जो पलाश एवं खजूर प्रजाति के हैं जो नहीं काटे जायेंगे लीज क्षेत्र पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड 100 मी., कच्चा रोड 20 मी. एवं उत्तर पश्चिम दिशा में आबादी 110 मी. की दूरी पर है। इस संबंध में 100 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ा गया है, एवं पूर्व दिशा में लीज क्षेत्र से एक प्राकृतिक नाला निकल रहा है। अतः स्थानवार मापदंड छोड़ने के पश्चात् खनन हेतु 0.9 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-30,000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.75 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु 3.29 लाख प्रति वर्ष ।
 1. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (लाख रु.में)
ग्राम श्यामपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय 3 किलोवॉट वाट के सोलर पेनल एवं वैज्ञानिक उपकरण एवं इससे सम्बंधित वॉल पेंटिंग की जाएगी	1,50,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2450 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

10. Case No. P2/1617/25, Shri Sachin Dungarwal S/o Shri Shripal Dungarwal R/o:519, Ringnod, Tehsil Jaora District Ratlam, Madhya Pradesh, State: - Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Rojana Murrum Quarry in an area of 3.0 ha. [Murrum-25,000 m³/year], (Khasra No. 861/1 (Govt. Land), Village- Rojana, Tehsil- Jaora, District- Ratlam (M.P.) [539315] (Fresh -B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, M/s. Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Sachin Dungarwal, Owner, R/o- 519, Ringnod, Tehsil- Jaora, District Ratlam (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	861/1 (सरकारी भूमि)	3.00 hectare.
स्थल	ग्राम रोजाना, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1406 दिनांक 03/10/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर Outward No:21950 दिनांक 23/05/2025 द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता grants NOC / Consent to Establish for grant of EC as per notification by MoEF&CC for mine activities तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरुम - 25000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरुम - 25000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1513 दिनांक 23/10/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1513 दिनांक 23/10/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	

से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1513 दिनांक 23/10/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1513 दिनांक 23/10/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत रोजाना, जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 13 दिनांक 16/8/2024 के अनुसार ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से 10 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर दिये जाने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है ।
प्रस्तावित पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र में स्थित पेड़ों की संख्या – 8 काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या – 2
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा – –उत्खनिपट्टे से पूर्व दिशा में 525 मीटर दूरी पर एक पक्की सड़क गुजर रही है । –उत्खनिपट्टे से उत्तर पूर्वी दिशा में 230 मीटर की दूरी पर एक मंदिर स्थित है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मुरुम हेतु उत्खनिपट्टा होने के कारण उत्खनिपट्टे क्षेत्र में ब्लास्टिंग कार्य नहीं किया जावेगा । –उत्खनिपट्टे क्षेत्र के उत्तर पूर्वी दिशा में 190 मीटर एवं दक्षिण पूर्वी दिशा में 334 मीटर की दूरी पर पर पवन चक्की स्थित है । दक्षिण दिशा – – उत्खनिपट्टे क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी दिशा में 334 मीटर की दूरी पर पवन चक्की स्थित है । – दक्षिण दिशा में निकटतम 8 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त सड़क से 100 मीटर तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं मुरुम खदान होने के कारण अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1513 दिनांक 23/10/2024 उक्त खनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला

में स्थिति	सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जावेगा
------------	---------------------------------------

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि उत्खनिपट्टे क्षेत्र के उत्तर पूर्वी दिशा में 190 मीटर पर एवं दक्षिण पूर्वी दिशा में 334 मीटर की दूरी पर पवन चक्की स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा कार्यालय जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी मंदसौर द्वारा जारी अनापत्ति क्रमांक 90 मंदसौर दिनांक 02-08-2024 प्रस्तुत की गयी जिसमे परियोजना प्रस्तावक को पवन चक्की से 210 मीटर की दूरी छोड़कर ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य करने हेतु सहमति प्रदान की जाती है जिस क्रम में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पवन चक्की से 210 मीटर की दूरी छोड़कर ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनिपट्टे क्षेत्र में खनन कार्य किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुषंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता – मुरुम –25000 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.89 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.20 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 3.0 kw capacity will be installed at village govt high school Rojana.	1,20,000/-
योग		1,20,000/-

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3620 वृक्षों का वृक्षारोपण।

11. Case No 10869/2023 Shri Anil Shivhare, Owner, Ward No. 06, Village- Barigarh, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP)-471510, Prior Environment Clearance for Mudhara Metal Stone & M-Sand Quarry in an area of 1.81 ha. (Stone-15000, M-Sand-15000 cum per year) (Khasra No. 1881), VILLAGE MUDHARA, TEHSIL GAURIHAR, DISTRICT CHHATARPUR, (M.P.) [539375] (EIA)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राममिलन पाठक, M/s. Visiontech Environment and Survey Works Pvt. Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri ANIL SHIVHARE, OWNER, Ward No. 06, Village Barigarh, Tehsil Gaurihar, District Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1881 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.810 hectare.
स्थल	VILLAGE MUDHARA, TEHSIL GAURIHAR, DISTRICT CHHATARPUR, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1636 दिनांक 19/07/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	फार्म-1 के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं।	
टॉर	सेक की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 372 दिनांक 06/05/2024 के द्वारा पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड-15,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर और एम सैंड-30,000 घनमीटर/वर्ष (पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम	

	सेंड-15,000 घनमीटर/वर्ष) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर और एम सेंड-30,000 घनमीटर/वर्ष (पत्थर-15,000 घनमीटर/ वर्ष एवं एम सेंड-15,000 घनमीटर/वर्ष) है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2386 दिनांक 15/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.416 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2386 दिनांक 15/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2386 दिनांक 15/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मुडहरा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र में 07 पेड़ हैं जिनको काटा नहीं जावेगा।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 2718 दिनांक 29/09/23 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डी.एस.आर. में सम्मिलित कर लिया जावेगा।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, एवं दक्षिण दिशा में एक प्राकृतिक जलमार्ग 67 मी. की दूरी पर है। खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया तत्संबंध में विवरण अनुमोदित खनन योजना में दर्शाया है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- EIA page 2-3, TOR compliance points no.7,14,15,17, Page no. 5 TOR condition no. 1,3,6, general TOR condition no. 1,2,8,9 Page no. 08, TOR condition no. 23, 24, 25, 28, also for reply noted shall be address proper with EIA chapter ref.
- GW 1-GW5, and for SW 3, type of water source is required. EIA page 40 observation and interpretation for overall result for UG and SW is to be mentioned. EIA table 3-15 page 44 AAQ is not monitored on project sites?
- EIA page 12 para 2.5.5 and table 2.15, page 100, page 115,116 table 10.7 page 118 page 120, do reveal contradictory information about drilling and blasting, please clarify the correct proposal. EIA report baseline data is not supported with geotag photograph, please incorporate the same as per TOR compliance. EIA page 113 EMP budget serial no. 18 reveals provision for crusher wind break wall whereas the same is not a part of this project.
- The PP shall upload comments/CTE of MPPCB in compliance of MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 on the Parivesh portal.
- Revised EMP incorporating proposal of Solar plant in the labour rest shelter and addressing PH issues also submit CER as advised.

12. Case No P2/1619/2025 Shri Daksh Sihag, Lessee, R/o Sai Kripa colony, District Indore (M.P). Prior Environment Clearance for Murrumm, Stone (Gitti) Quarry and M-Sand in an area of 4.00 ha. (Murrum – 21,000 cum per year, Gitti – 15,000 cum per year and M-Sand 60,000 cum per year) (Khasra No. 13), Village- Birampura, Tehsil Manawar District-Dhar (MP) [539401] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22/7/2017 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना ऑनलाइन, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कंसलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Daksh Sihag, Lessee, R/o Sai Kripa colony, Indore District Indore (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	13 (सरकारी भूमि)	4.00 hectare.
स्थल	ग्राम बिरमपुरा, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 1058 दिनांक 07/07/2025 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा Outward No:29054 दिनांक 13/05/2025 जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 09/05/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरुम - 21000 घनमीटर/वर्ष, गिट्टी - 15000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरुम - 21000 घनमीटर/वर्ष, गिट्टी - 15000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 60,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1116 दिनांक 09/4/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	

राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1116 दिनांक 09/4/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1116 दिनांक 09/4/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1116 दिनांक 09/4/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत बिरमपुरा, जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 27/01/2025 के अनुसार ग्राम सभा पैसा एक्ट समिति को ग्राम बिरमपुरा को कोई अपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	No Tree existing within the lease area.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1116 दिनांक 09/4/2025 के उपरोक्त खदान के अनुबंध/निष्पादन तथा पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जावेगा

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि पूर्व दिशा में एक प्राकृतिक जलमार्ग लीज क्षेत्र से लगा हुआ है इस सम्बन्ध में 50 मी. तक के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है, पश्चिम दिशा आबादी 450 मीटर की दूरी पर है। परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में केशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मरुम - 21000 घनमीटर/वर्ष, गिटटी - 15000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड - 60,000 घनमीटर/वर्ष है।

2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क़शर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क़शर /एम सेंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी ।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 28.04 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 04.58 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.0. लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियों	राशि (रू.में)
ग्राम बिरमपुरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय मे 5 किलो वाट का सोलर पेनल स्थापित किया जायेगा ।	2,00,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4900 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

13. Case No P2/1607/2025 Nidhi Mandloi, Partner, vasundhara minerals and mines, 5, Shalimar building,ujian-Indore Highway road, Ujjain (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) Quarry and M-Sand in an area of 1.780 ha. (Gitti – 24,000 cum per year and M-Sand 6,000 cum per year) (Khasra No. 1381/1), Village- Ujjainiya Tehsil Ghattiya District-Ujjain (MP) [505553] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22/7/2017 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, ऑनलाइन, मे. एपेक्स मिनटेक कंसलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Nidhi Mandloi, Partner, vasundhara minerals and mines, 5, Shalimar building,ujian-Indore Highway road, Ujjain (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1381/1 (सरकारी भूमि)	1.780 hectare.
स्थल	ग्राम उज्जैनिया, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 2319 दिनांक 09/09/2024के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	As per Mining plan crusher is proposed within the lease area.	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा Outward No:21970 दिनांक 28/05/2025 जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता grants Noc/Consent to Establish for setting up of an industrial plant/activities	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता एम सैंड - 6000 घनमीटर/वर्ष एवं स्टोन (गिट्टी) - 24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता एम सैंड - 6000 घनमीटर/वर्ष एवं स्टोन (गिट्टी) - 24,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 597 दिनांक 07/3/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 3.780 अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण एसईजेड /से	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 597 दिनांक 07/3/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	

दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 597 दिनांक 07/3/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 597 दिनांक 07/3/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत उज्जैनिया, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 24/10/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	No Tree existing within the lease area.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन पत्र क्रमांक 597 दिनांक 07/03/2025 के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2022-2023 बनी है एवं उक्त उत्खनिपट्टा तत्पश्चात स्वीकृत हुआ है। आगामी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जावेगी उसमें सम्मिलित कर लिया जावेगा

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि उत्तर दिशा में एक पगडण्डी लीज क्षेत्र के पास से निकल रही है दक्षिण एक कच्ची रोड 108 मीटर की दूरी पर एवं 200 के दूरी पर शेड हैं ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता एम सेंड-6000 घनमीटर/वर्ष एवं स्टोन (गिट्टी) – 24,000 घनमीटर/वर्ष है। है।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कृशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित कृशर /एम सेंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी ।

3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.22 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 4.37 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम उज्जैनिया शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 3 किलोवॉट के सोलर पेनल स्थापित क्या जाएगा।	1,50,000
पेंटिंग का कार्य किया जाएगा	30,000
कुल	1,80,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2136 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

14. Case No P2/1608/2025 Shri Rajkumar Bagri, son of Shri Lakhanlal Bagri. Village- Mehgawan Tidhara, Tehsil- Amanganj, District- Panna (M.P.). Prior Environment Clearance for M/s SAPTAIYA STONE MINE, area 3.990 Ha. Khasra No.-132, 138(Govt. Land) (Production – 25650 m³/year) Village- Saptaiya Tehsil-Amanganj & District-Panna, Madhya Pradesh.[518173] [DEIAA] (B2).

प्रकरण आज सेक की 813वीं बैठक दिनांक 22/07/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

15. Case No P2/1610/2025 ANJU SINGH, LEASE OWNER, R/o- Etori House, Near Raj Laxmi Hotel Panna, Madhya Pradesh – 488001. Prior Environment Clearance for M/s TAI STONE, BOULDER, M-SAND MINE, Stone Mine in an area of 2.00 ha. GITTI- 15000 घनमीटर/वर्ष, M-SAND- 5000 घनमीटर/वर्ष एवं BOULDER- 500 घनमीटर/वर्ष) (Khasra No. 995/3, 995/5) VILLAGE - TAI, TEHSIL - AMANGANJ, DISTRICT - PANNA (M.P.) [510970] (B2)

प्रकरण आज सेक की 813वीं बैठक दिनांक 22/07/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

16. Case No. P2/1609/25, M/s Singrauli Minerals Pvt Ltd Director: Shri Narayan Das Vais R/o: Gadsa Post Naugai Tehsil Singrauli District – Singrauli, State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Chakodiya Stone (Gitti) Quarry in an area of 4.0 ha. [Stone (gitti)-35,000 m³/year], (Khasra No. 1/1 (Govt. Land), Village- Chakodiya, Tehsil- Jaitpur, District- Shahdol (M.P.) [538197] (Fresh -B2) .

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 22/07 /2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Shri Shishupal Verma M/s. Super Tech, Environmental Services, Bhopal (M.P.). उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Narayan Das Vaishya, Director, Village- Gadsa, Post- Pondi Naugai, Tehsil- Singrauli (M.P.) - 486886. Prior Environment Clearance Stone Quarry with a production capacity of 35,000 m ³ /year Stone having a lease area of 4.00 hectare, at Khasra No. 1/1 (Govt. land) Village - Chakodiya, Tehsil- Jaitpur, District- Shahdol (M.P.). SIA/MP/MIN/ 538197/2025.	
परियोजना का खसरा नं./ लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.- 1/1,	एरिया – 4.00 ha., (Govt. land),
परियोजना स्थल	Village - Chakodiya, Tehsil- Jaitpur, District- Shahdol (M.P.).	
Description of Project	It is a Stone Quarry with a production capacity of 35,000 m ³ /year Stone having a lease area of 4.00 hectare, at Khasra No. 1/1 (Govt. land) Village - Chakodiya, Tehsil- Jaitpur, District- Shahdol (M.P.).	
सैधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के पत्र क्र0. 166 दिनांक 07 / 02 / 2025.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	
खनन कार्य ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	Muffle Blasting.	
उत्पादन क्षमता	Stone – 35,000 Cubic meters per year.	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 660 दिनांक 09 / 05 / 2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं है जिनका कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 660 दिनांक 09 / 05 / 2025 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल	

राजस्व जानकारी	प्रमाण—पत्र क्रमांक 660 दिनांक 09/05/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि संबंधी जानकारी निम्नानुसार है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – चकौडिया, जिला – शहडोल का ठहराव प्रस्ताव क्र. 08 दिनांक 16/11/2024 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र में स्थित पेड़ों की संख्या – 5 काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या – 3
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	पश्चिम दिशा –उत्खनिपट्टे से उत्तर पश्चिम दिशा में एक कच्चा रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया की उक्त रोड से 50 मीटर की दूरी तक गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित है ।
	उत्तर दिशा –उत्खनिपट्टे से उत्तर पूर्वी दिशा में 160 मीटर पर एक पक्का रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त पक्का रोड से 200 मीटर तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा। –उत्खनिपट्टे के उत्तर दिशा में 390 मीटर की दूरी पर एक तलई स्थित है ।
	दक्षिण दिशा – –उत्खनिपट्टे के दक्षिण पूर्वी दिशा में 186 मीटर की दूरी पर एक तलई स्थित है जिसके सम्बन्ध पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त तलई से 200 मीटर की दूरी तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा । –उत्खनिपट्टे के दक्षिण पश्चिम दिशा में 232 मीटर की दूरी पर एक तलई स्थित है । –उत्खनिपट्टे से दक्षिण पश्चिम दिशा में 270 मीटर की दूरी पर कुछ मकान स्थित है कुछ स्ट्रक्चर स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त स्ट्रक्चर स्थानीय किसानों द्वारा खेती आदि का सामान एवं मशीन आदि रखने हेतु बनाये गए कमरे हैं जिनमें कोई निवास नहीं करता है एवं उत्खनिपट्टे से मानव बसाहट 500 मीटर से अधिक दूरी पर है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के पत्र क्रमांक 719 दिनांक 27/05/2025 द्वारा अवगत कराया गया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाई गई

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता – गिट्टी पत्थर 35000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.46 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.22 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित कशर /एम सेंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
4. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.50 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 2.0 kw capacity will be installed at village govt primary school Khujmaniya.	90,000 /-
2.	Repairing and Whitewash of the same school building along with educational paintings on the walls and distribution science relate equipment in the school.	30,000/-
3.	Repairing & maintenance of Anganwadi Kendra Khujmaniya and Construction of remaining boundary wall around Anganwadi Kendra	30,000/-
योग		1,50,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4830 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

After presentation the committee asked PP/ Env. Consultant to submit following information; on receipt of reply/document this case shall be treated as recommended for grant of EC.

- The mine lease area falls under tribal area where PESA is applicable hence PP is directed to obtain NOC from village panchayat dealing with PESA.

17. Case No P2/996/2024 Shri LAKHWINDER PANAG, Lessee, 1238, Sector 90, Mohali, CHHATARPUR (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s BADOURAKALA STONE QUARY Stone Mine in an area of 4.00 ha. (1,88,803 cum per annum) (Khasra No. 946,) Village Badourikala Tehsil Gaurihar, Dist. Chhatarpur (M. P.) [475151] [DEIAA] Referred Back

- Earlier this case was discussed in 768th SEAC meeting dated 28/01/2025 wherein ToR was Recommended.
- Case was Referred back in 844th SEIAA meeting dated 07/05/2025

844th SEIAA meeting dated 07/05/2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 768 वी बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAA प्रकरणों के appraisal/Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी-2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी-1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। नवीन आवेदन बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा। शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा। इस तरह के सभी प्रकरणों में कार्यवाही लागू होगी।

18. Case No 10784/2023 Shri Bhanu Kumar Jain, Partner, M/s Mahaveer Stone Crusher, R/o Village-Budiya, Tehsil-Ishagarh, District-Ashok Nagar (MP)-473338, Prior Environment Clearance for M/s MAHAVEER STONE CRUSHER, Uchawad Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (30780 cum per year) (Khasra No. 375), Village-Lahadpur, Tehsil-Isagarh, District-Ashok Nagar (MP) [519078] [DEIAA to SEIAA] Referred Back (EIA)

- Earlier this case was discussed in 775th SEAC meeting dated 21/02/2025 wherein EC was Recommended.
- Case was Referred back in the 844th SEIAA meeting dated 07/05/2025

SEIAA 844th meeting dated 07/05/2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 775वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 एवं 777वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना की वैधता दिनांक 20.06.2024 को समाप्त हो गई है।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन फार्म, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में पार्टनर का नाम भिन्न भिन्न है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार पार्टनर का नाम सभी दस्तावेजों में भिन्न-भिन्न है का स्पष्टीकरण एवं जानकारी प्राप्त कर पुनः परीक्षण किये जाने हेतु प्रकरण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 22/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Sh. Shishupal Verma, M/s. Super Tech, Environmental Services, Bhopal(M.P.). उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष सिया द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण किया गया।

- प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है
- प्रकरण की पूर्व में सेक बैठक क्रमांक 775 दिनांक 21/02/2025 एवं सेक बैठक क्रमांक 777 दिनांक 11/03/2025 में समिति द्वारा अनुशंसा की गयी थी।

- अनुमोदित खनन योजना की वैधता दिनांक 20.06.2024 को समाप्त हो चुकी है। इस संबंध में नवीन खनन स्कीम तैयार कर शीघ्र ही अनुमोदित करवाकर प्रस्तुत कर दी जावेगी ।
- ऑनलाइन फॉर्म, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में पार्टनर का नाम भिन्न-भिन्न के सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि मेसर्स महावीर स्टोन क्रेशर में श्री भानु कुमार जैन, श्री आशीष जैन एवं श्री शिवेंद्र यादव, पार्टनर के रूप में सम्मिलित है जिनके नाम कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा अशोकनगर मध्य प्रदेश द्वारा जारी अंतरण आदेश पत्र क्रमांक 547 दिनांक 18-09-2019 में भी उल्लेखित किये गए हैं।
- उक्त उल्लेखित समस्त पार्टनर द्वारा उक्त उत्खनिपट्टे से सम्बंधित कार्यों में हस्ताक्षर हेतु श्री पवन कुमार जैन जो कि मेसर्स पि.एस.स्टोन के भी पार्टनर है, जिन्हे पावर ऑफ द एटॉर्नि गयी है जोकि परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गयी है । इसलिए शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में अधिकृत व्यक्ति के रूप में श्री पवन कुमार जैन का नाम एवं हस्ताक्षर है।

समिति द्वारा यह पाया गया कि अनुमोदित नवीन खनन स्कीम परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है अतः नवीन खनन स्कीम अनुमोदित करवाकर परिवेश पोर्टल पर ADS के माध्यम से अपलोड किया जावे तत्पश्चात् प्रकरण विचार किया जावेगा।

19. Case No 10919/2023 Shri Shubam Bansal, Partner, M/s Shri Girraj Ji Stone Crusher, R/o Gautam Vihar Colony, Circuit House Road, District-Shivpuri (MP)-473551, Prior Environment Clearance for M/s Parichha Kirar Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (37572 cum per year) (Khasra No. 1104), Village-Parichchha Kirar, Tehsil-Pohri, District-Shivpuri (MP) [519560] [DEIAA] Referred Back (EIA)

- Earlier this case was discussed in 774th SEAC meeting dated 18/02/2025 & 777th SEAC meeting dated 11/03/2025 wherein EC was Recommended.
- Case was Referred back in 844th SEIAA meeting dated 07/05/2025

844th SEIAA meeting dated 07/05/2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 774वीं बैठक दिनांक 18.02.2025 एवं 777वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान का बैरियर जोन खुदा हुआ परिलक्षित है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.01.2019 के बिन्दु क्रमांक VIII के बिन्दु 1 में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 22/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Sh. Shishupal Verma, M/s. Super Tech, Environmental Services, Bhopal(M.P.). उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष सिया द्वारा उठाय गये बिन्दुओं के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण किया गया।

- प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है
- प्रकरण की पूर्व में सेक बैठक क्रमांक 774 दिनांक 18/02/2025 एवं सेक बैठक क्रमांक 777 दिनांक 11/03/2025 में समिति द्वारा अनुशंसा की गयी थी।

पर्यावरण सलाहकार द्वारा सिया द्वारा चाही गयी जानकारी के अनुक्रम में प्रस्तुतिकरण के दौरान यह बताया गया कि :

- उत्खनिपट्टे क्षेत्र के छोटे आकार में खुदे हुए बैरियर जोन का परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिट्टी व ओवरबर्डन से पुनर्भरण किया गया एवं उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया जिसके फोटोग्राफ्स अक्षांश दक्षांश सहित प्रस्तुत किये जिनका समिति द्वारा गूगल पर मिलान किया गया जो कि सही जगह पर पाए गए।
- इसके अतिरिक्त, डेटा शीट में उल्लिखित उत्खनन पट्टे की लीज अवधि के संबंध में यह बताया गया है कि उक्त खदान की लीज अवधि 14-03-2018 से 13-03-2028 तक है, जिसकी प्रति परिवेश पोर्टल पर परिशिष्ट-17 के अंतर्गत अपलोड की गई है

अतः समिति में चर्चा के दौरान प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाए गए जिनके आधार प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सेक द्वारा 774 एवं 777वीं बैठक में की गई अनुशंसाएं यथावत रखने का निर्णय लिया है।

20. Case No 11028/2023 Shri Anil Kumar Agrawal, Partner, M/s Mahakaleshwar Stone Crusher, R/o Bag Baba Sahib ka Bara, District-Dholpur (RJ)-328001, Prior Environment Clearance for M/s Dabradinara Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (40000 cum per year) (Khasra No. 225/1), Village-Dabra Dinara, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP) [519652] [DEIAA] Referred Back (EIA)

- Earlier this case was discussed in 774th SEAC meeting dated 18/02/2025 wherein EC was Recommended.
- Case was Referred back in 844th SEIAA meeting dated 07/05/2025

844th SEIAA meeting dated 07/05/2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 774वीं बैठक दिनांक 18.02.2025 एवं 777वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान का बैरियर जोन खुदा हुआ परिलक्षित है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.01.2019 के बिन्दु क्रमांक VIII के बिन्दु में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।
2. प्रस्तावित खदान का विवरण अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 22/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Sh. Shishupal Verma, M/s. Super Tech, Environmental Services, Bhopal(M.P.). उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष सिया द्वारा उठाय गये बिन्दुओं के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण किया गया।

- प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है
- प्रकरण की पूर्व में सेक बैठक क्रमांक 774 दिनांक 18/02/2025 एवं सेक बैठक क्रमांक 777 दिनांक 11/03/2025 में समिति द्वारा अनुशंसा की गयी थी।

पर्यावरण सलाहकार द्वारा सिया द्वारा चाही गयी जानकारी के अनुक्रम में प्रस्तुतिकरण के दौरान यह बताया गया कि :

- प्रारंभ में यह खनिज पट्टा दिनांक 06-05-2010 से 05-05-2020 की अवधि हेतु श्रीमती उर्मिला रावत के पक्ष में 06-05-2010 को स्वीकृत किया गया था। पट्टा अवधि के दौरान वर्ष 2015 में, यह खनिज पट्टा श्रीमती उर्मिला रावत से मेसर्स महाकालेश्वर स्टोन क्रेशर को स्थानांतरित किया गया, जिसे कलेक्टर कार्यालय (खान शाखा), शिवपुरी, मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक 1574-1578/3-6/खनि/15 दिनांक 29-10-2015 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई।
- इसके उपरांत, मेसर्स महाकालेश्वर स्टोन क्रेशर के पक्ष में DEIAA शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक 1551, दिनांक 16-11-2016 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई
- तत्पश्चात, खनिज संचालनालय, भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्र क्रमांक 12167-70/2021 दिनांक 09-09-2022 के माध्यम से इस पट्टे का नवीनीकरण 06-05-2020 से 05-05-2030 की अवधि हेतु किया गया।
- अतः मेसर्स महाकालेश्वर स्टोन क्रेशर (साझेदार—श्री अनिल कुमार अग्रवाल) को यह पट्टा पूर्व—उत्खनित (खोदाई की हुई) स्थिति में प्राप्त हुआ, क्योंकि यह वर्ष 2015 में उनके पक्ष में स्थानांतरित हुआ था। यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमती उर्मिला रावत को भी यह पट्टा पूर्व—उत्खनित अवस्था में प्राप्त हुआ था, जिसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट पत्र क्रमांक क्र./क्यू/आर.आई-1/तह./2009, दिनांक 01-07-2009 द्वारा की गई, जिसमें यह उल्लिखित है कि उक्त क्षेत्र पूर्व में खनन हेतु स्वीकृत किया जा चुका था।
- अतः यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टा क्षेत्र में खनन गतिविधियाँ वर्ष 2010 से पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी थीं।
- प्रस्तावित खदान का विवरण अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है—
- प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा यह बताया गया कि, शिवपुरी जिले के लिए अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 25/04/2022 को स्वीकृत किया गया था, जबकि उक्त खनिज पट्टे का नवीनीकरण खनिज संचालनालय, भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्र क्रमांक 12167-70/2021, दिनांक 09-09-2022 के माध्यम से किया गया। अतः इस पट्टे का विवरण 2022 की डीएसआर रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।
- तथापि, इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय (खान शाखा), शिवपुरी द्वारा दिनांक 03-02-2025 को पत्र क्रमांक 164/3-6/ खनि/फ.र.6/21/2025 के माध्यम से DSR पत्र प्राप्त किया गया है। उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि यह खदान डीएसआर में सम्मिलित नहीं है, तथा इसके विवरण को आगामी अद्यतन डीएसआर प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाएगा।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि अतः प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाए गए, परन्तु उपरोक्त चर्चा के क्रम में समिति द्वारा ये पाया गया की DSR पत्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, अतः समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया—

- डीएसआर में लीज क्षेत्र को शामिल करने संबंधी पत्र को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
- बेरियर जोन क्षेत्र खुदा हुआ है अतः भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08/01/2019 के पालनार्थ पुर्नभरण करवाकर वृक्षारोपण कर संरक्षित कराएं तथा प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत करें।

21. Case No. P2/871/24 Shri Ajay Gupta, DGM (Finance), SAYAJI HOTELS LIMITED, H/1, Scheme No. - 54, Vijay Nagar, Indore, Distt.-Indore (M.P.) - 452001 Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of "Amber Hotel and Convention Centre" at Khasra No. - Plot No 181/2/1,181/2/2,181/2/6,283/2, Village- Nipania, District-Indore, (M.P.), Net Plot Area - 15548.5 m2, Built up Area - 32,421.93 Sq.m. to 38,421.93 Sq.m. (As per EC Rooms is 160 and after expansion total num. of rooms will be 243). Cat. 8(a) Building Construction Projects. [469983] (Query Reply) (EIA)

प्रकरण आज सेक की 813वीं बैठक दिनांक 22/07/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

22. Case No 10776/2023 Shri Ajay Pal Singh, Partner and Authorized Signatory, M/s Khajuraho Minerals Limited, 6 km, Sagar Road, Dhadari, District-Chhatarpur (MP)-471001, Prior Environment Clearance for M/s. Khajuraho Minerals, Garhi (Malhara) Pyrophyllite and Diaspore Mine in an area of 2.974 ha. (10920 TPA) (Khasra No. 131/3, 131/1, 187/1kh, 193), Village-Garhi, Tehsil-Maharajpur, District-Chhatarpur (MP) [518363] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 778th SEAC meeting dated 25/03/2025, wherein Queries was raised

1. परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन केवल 05 स्थानों पर किया गया है तथा ईएमपी में 06 स्थानों पर मापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण में 02 खदान हैं, अतः वायु मापन न्यूनतम 08 स्थानों पर 01 माह की अवधि का परिणाम प्रस्तुत करें।
2. भू-जल स्तर का आधार/संबंधित विभाग का पत्र प्रस्तुत करें।
3. लोक जनसुनवाई में आमजनों द्वारा उठाये बिन्दुओं/सुझावों पर सीईआर/ईएमपी में समाधान प्रस्तुत करें।
4. सरफेस वॉटर (SW2) ग्राम बारी जल-स्रोत का विवरण उल्लेखित करें।
5. भू-जल गुणवत्ता, सरफेस जल गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता के परिणामों को निर्धारित मापदण्डों तथा प्रस्तावित ईएमपी के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कर इंवायरमेन्टल कॉस्ट बेनेफिट एनालीसिस प्रस्तुत किया जाये।

स्थानीय निकाय की खनन संबंधी अनापत्ति प्रस्तुत करें।

आज दिनांक 22/07/25 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, कोर्डिनेटर, ऑनलाइन M/s. Aplinka Solutions & Technologies Pvt. Ltd., Noida, Uttar Pradesh उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष क्वेरी रिप्लाई का प्रस्तुतीकरण किया गया ।

क्वेरी रिप्लाई का प्रमुख विवरण निम्नानुसार है

- परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन **08** स्थानों पर **01** माह की अवधि का परिवेशीय वायु गुणवत्ता का परिमाण संलग्न किया गया ।

Station code	Sampling Location	Aerial distance from the ML area	Direction from ML Area	selection criteria
AAQ 1	Project Site	0	0	Mining site
AAQ2	Shivpura	3.0 km	West	Upwind direction
AAQ3	Kurraha village	1.9Km	North West	Upwind direction
AAQ4	Simardha	3.2 km	South East	Downwind Direction

	village			
AAQ5	Kanera Village	1.6 Km	ENE	Cross wind Transportation
AAQ 6	Majhgawan Village	4.5 Km	E	Downwind direction [aprox. 5.0 km]
AAQ 7	Garhi Village	2.30 km	South	Nearer village in South
AAQ 8	Dhikpurwa Village	6.30 Km	East	Downwind direction [more than 5.0 km]

- **One month Monitoring intimation letter dated 28/03/25 to R.O.**
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन का का पत्र क्रमांक 1815 दिनांक 03/09/2024 भू- जल का आधार पत्र संलग्न हैं जिसके अनुसार ग्राम गढ़ी तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर भू जल स्तर 40 -45 मीटर (BGL) हैं
- लोक जनसुनवाई मे आमजनों द्वारा उठाए बिन्दुओ/ सुझावों का समाधान सी.ई.आर मे किया हैं
- सरफेस वाटर ग्राम बरी जल-स्रोत का विवरण उल्लेखित करें - सतही जल 2 का स्थान 6.6 किमी दक्षिण-पश्चिम में है अर्थात बारी गांव का तालाब है।
- **No forest land involvement, so no diversion of forest land. No cutting of tree is involved.**
- **No R &R involvement;**
- **Not covered under Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 as no such area is involved in it.**
- **No National Park, Sanctuaries, Biosphere Reserve, Wild life Corridors, Tiger/Elephant reserves within study area, hence threat to biodiversity is minimal.**
- **No critically polluted areas present in study area.**
- **No loss of Schedule-I and II species and any other fauna,**
- **No diversion of any perennial surface water body.**
- **Having raw materials demand to various infrastructure project.**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता—**Pyrophyllite and Diaspore —10920 TPA**
2. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.34 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.86 लाख प्रति वर्ष।

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.0 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

S. No	Issues	Activities	Capital Cost
1	<ul style="list-style-type: none"> Water facility should be provided in the primary school by the mine management. Rain water from the mine should be given to the farmers. Water should be sprinkled on the roads around the mine. 	<ul style="list-style-type: none"> CER budget for drinking water facility at primary school is Rs. 1.0 lakh) 2% of project cost- Details are as under:- Handpump and water tank in the school- Rs. 60,000/- R.O installation -15,000/- Construction of drain from mine to nearby agriculture field-25,000/- 	1,00,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3940 वृक्षों का रोपण ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled “Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area”.
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner’s Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
38. लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
- खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
39. केशर अथवा एम सेड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
40. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

1. **क्षतिपूर्ति के संबंध में:-**

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.

23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Minable Potential of sand mine.
 - e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - f. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. The project proponent shall comply the MOEF&C’s O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
39. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
40. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।